UPFR010004242024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–02, फर्रुखाबाद

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–I–––––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

दाण्डिक अपील संख्या– **02/2024**

नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल, उम्र लगभग 50 वर्ष,

निवासी– जनैया सिठैया, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद।

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र० राज्य

.....प्रतिउत्तरदाता/विपक्षी

दाण्डिक वाद संख्या– 1800/2013

मु.अ.सं.– 09/1984

धारा– 353, 504, 506 भा.दं.सं.

थाना– मऊदरवाजा

जनपद– फर्रुखाबाद

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त नन्दकिशोर के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 1800/2013, राज्य प्रति रामेश्वर दयाल आदि, मु.अ.सं. 09/1984, अन्तर्गत धारा 353, 504, 506 भा.दं.सं., थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांकित 03.01.2024 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसमें विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद नें अभियुक्त नन्दकिशोर को भा.दं.सं. की धारा 353 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदण्ड, भा.दं.सं. की धारा 504 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड तथा भा.दं.सं. की धारा 506 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया है।

2. प्रस्तुत अपील जिन परिस्थितियों में उद्भूत हुई उसके कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कैलाशचन्द्र शाक्य द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1, दिनांकित 23.01.1984 के आधार पर थाना हाजा पर इस आशय की प्राथमिकी अंकित करायी गयी कि वह तहसील सदर फर्रूखाबाद का संग्रह अमीन है। दिनांक 23.01.1984 को ग्राम जनैया सठैया में वसूली हेतु

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 14:20:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया था। ग्राम के ही रामेश्वर दयाल व रतीराम से बैक ऋण बकाया मांगा तो रामेश्वर दयाल, नन्दकिशोर व रज्जन उर्फ राजेन्द्र ने कहा कि ऋण वसूली के कागज व वारण्ट रामेश्वर दयाल को दिखलाओ। जब प्रार्थी ने कागज वसूली व वारण्ट गिरफ्तारी रामेश्वर दयाल वगैरह को दिखाया तो रामेश्वर दयाल व नन्द किशोर ने कागज व वारण्ट अपने हाथ में लेकर जबरन फाड डाले और गाली–गलौज व हाथापाई करने लगे व जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को रंगीलाल, रामनाथ सिंह तथा मेरे चपरासी बच्चूसिंह, शंकरलाल व आशाराम अमीन आदि ने देखा व मुझे बचाया। वह फटे हुए सभी कागजात साथ लाया हूं। यह घटना अहिवरन सिंह के ट्यूबवेल कोल्हू ग्राम उत्तर की तरफ हुई, यह घटना करीब 2:30 बजे दोपहर बाद की है।

3. प्रस्तुत अपील से सम्बन्धित दाण्डिक वाद में वादी मुकदमा कैलाश चन्द्र शाक्य, संग्रह अमीन के द्वारा थानाध्यक्ष, मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को दी गई तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 09/1984, अन्तर्गत धारा 353, 504, 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दिनांक 23.01.1984 को समय 20.50 रात्रि को अभियुक्तगण रामेश्वर दयाल, नन्दकिशोर एवं रज्जन उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध दर्ज हुई। जिसका इन्द्राज जी.डी. संख्या 35 में दिनांक 23.01.1984, समय 20.50 बजे किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इस मामले की विवेचना उ.नि. हरीबाबू शर्मा द्वारा ग्रहण कर विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण रामेश्वर दयाल, नन्दकिशोर एवं रज्जन उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 353, 504, 506 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु जरिये समन तलब किया गया।

अभियुक्तगण रामेश्वर दयाल एवं रज्जन उर्फ राजेन्द्र की दौरान मुकदमा विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की गयी। अभियुक्त नन्दकिशोर वर्तमान में जमानत पर है।

4. अभियुक्तगण रामेश्वर दयाल, नन्दकिशोर एवं रज्जन उर्फ राजेन्द्र के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी सदर, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 15.05.2001 को भा.दं.सं. की धारा 353, 504, 506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा इन आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण किये जाने की माँग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए इस मामले से सम्बन्धित चार साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। जो इस प्रकार है– **पी.डब्लू– 1** आशाराम, **पी.डब्लू– 2** बच्चू, **पी.डब्लू.– 3** कैलाशचन्द्र शाक्य एवं **पी.डब्लू. 4** उ.नि. महेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया। इन साक्षियों के अलावा अभियोजन पक्ष की तरफ से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

6. **पी.डब्लू– 3** कैलाशचन्द्र शाक्य ने तहरीर का.सं. 4A/2 को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है एवं **पी.डब्लू. 4** उ.नि. महेन्द्र सिंह ने द्वितीयक साक्षी के रूप में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का.सं. 4A/1 को **प्रदर्श क–2**, आरोप पत्र का.सं. 3A को **प्रदर्श क–3** एवं नक्शा नजरी घटनास्थल का.सं. 7A को **प्रदर्श क–4** रूप में साबित किया है।

7. अभियुक्त नन्दकिशोर का दं.प्र.सं. की धारा 313 के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2023 को बयान दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथनाक को गलत होना तथा अभियोजन साक्षियों के द्वारा झूठा व गलत साक्ष्य देना कहा है। इसके अतिरिक्त बताया है कि मेरे खिलाफ कोई भी वसूली वारण्ट नहीं था और न ही मै मौके पर मौजूद था। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

8. प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण द्वारा दोषसिद्धी के निर्णय के विरुद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा बिना तथ्यों का अवलोकन किये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी को माननीय सेंशन न्यायालय द्वारा पी०डब्ल्यू०– 02 पर जिरह करने का अवसर दिया गया, लेकिन लोअर कोर्ट द्वारा गवाह नहीं बुलाया गया और प्रार्थी को अपने बचाव का मौका नहीं मिला। अभियोजन साक्ष्य पी०डब्लू०–01 द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वादी मुकदमा से कोई भी झगड़ा फसाद करने का हेतुक नहीं था। अपीलार्थी के खिलाफ वादी व अन्य गवाहों के द्वारा दिये गये बयानों में काफी विरोधाभाष है। अतः प्रार्थी की लोअर कोर्ट से पत्रावली तलब कर अपील की सुनवाई करके प्रार्थी को वरी करने की याचना की गई है।

9. अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने इस अपील के विरुद्ध कोई लिखित आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है, बल्कि मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त यह निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज होने योग्य है।

10. मैने अपीलार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आहूत पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत अपील माननीय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांकित 23.01.2024 द्वारा अंगीकृत होकर पंजीकृत की गयी और निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित की गयी तथा दोषसिद्ध नन्दकिशोर की दौरान अपील जमानत मा. सत्र न्यायालय, फर्रुखाबाद द्वारा स्वीकार की गयी।

अपीलार्थी द्वारा लिये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में अब यह देखना है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 1800/2013 में पारित निर्णय दिनांकित 03.01.2024 स्थिर रहने योग्य है या नहीं।

दण्डवाद में अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 353, 504, 506 का आरोप विरचित किया गया था। इन आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की तरफ से चार अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया, जिनमें तीन तथ्य के साक्षीगण एवं एक औपचारिक साक्षी है। अभियुक्त का दं.प्र.सं. की धारा 313 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा उभयपक्ष के साक्षियों के साक्ष्य का सम्यक विवेचन करने के उपरान्त अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 353, 504, 506 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धि के आधार के रुप में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य का सम्यक विवेचन करने के उपरान्त अभियुक्तगण की दोषसिद्धि होने का निष्कर्ष दिया गया है। इस निष्कर्ष का पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

12. **क्या अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है ?**

उभयपक्ष के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया जाना आवश्यक है। दाण्डिक वाद में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु अभियोजन को अपने केस को अपने साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह के परे साबित करना होता है। जबकि बचाव पक्ष को अभियुक्तगण को दोषमुक्त कराये जाने हेतु अभियोजन केस को सन्देहास्पद साबित करना होता है।

प्रस्तुत मामले में वादी कैलाश चन्द्र शाक्य, जो तहसील सदर, जनपद फर्रूखाबाद में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत था, द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.01.1984 को सम्बन्धित थाने पर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 23.01.1984 को समय 02.30 बजे के बाद ग्राम जनैया सठैया में रामेश्वर दयाल व रतीराम से बैक ऋण बकाया मांगने पर रामेश्वर दयाल व नन्द किशोर ने कागज वसूली व वारण्ट गिरफ्तारी जबरन फाड डाले और गाली–गलौज व हाथापाई करने लगे व जान से मारने की धमकी दी।

इस सम्बन्ध में **पी.डब्लू. 1 आशाराम** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया, किन्तु अपनी जिरह में कथन किया गया है कि सन् 1984 की घटना है। वसूली कैलाश चन्द्र शाक्य, संग्रह अमीन का क्षेत्र था, उसके साथ मै भी वसूली करने चला गया था। यह करीब 28 वर्ष पुराना केस है। घटना के समय नन्दकिशोर व राजेन्द्र नहीं थे। रञ्जन उर्फ राजेन्द्र व नन्दकिशोर को आज से पूर्व मैनें कभी देखा भी नहीं था। झगड़ा रामेश्वर दयाल से हुआ था। रामेश्वर दयाल ने वसूली वारण्ट छीन कर फाड़ दिया था। नन्दकिशोर व राजेन्द्र ने वसूली वारण्ट नहीं फाड़ा था। इन लोगों न गाली गलौज किया था, न जान से मारने की धमकी दी थी। रामेश्वर व अन्य गांव के लोगों ने झगड़ा किया था, जिन्हें मै नहीं जानता हूँ। यह घटना गांव में

कोल्हू था, उसके उत्तर तरफ हुई थी। मुझसे दरोगा जी ने कोई भी बयान नहीं लिये थे। मै कैलाश के साथ थाने रिपोर्ट लिखाने भी नहीं गया था।

इस साक्षी द्वारा यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, किन्तु जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि घटना के समय अभियुक्त नन्दकिशोर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और न ही उसके द्वारा वादीमुकदमा के साथ किसी प्रकार की गाली–गलौज, मारपीट की गयी या उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। इस साक्षी का यह भी कथन है कि संग्रह अमीन का झगड़ा रामेश्वर दयाल से हुआ था और रामेश्वर दयाल ने ही वसूली वारण्ट फाड़ा था और अन्य गांव वालों के साथ झगड़ा किया था।

इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि घटना कारित करने में अभियुक्त नन्दकिशोर की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी और न ही वह घटनास्थल पर उपस्थित था।

पी.डब्लू. 2 बच्चू सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, किन्तु अभियोजन द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम, फर्रूखाबाद द्वारा निगरानी संख्या 36/2010 में पारित आदेश दिनांकित 15.12.2010 के अनुपालन में उसे जिरह हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण उसके साक्ष्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं होता है।

पी.डब्लू. 3 कैलाश चन्द्र, जो मुकदमा वादी है, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि रामेश्वर दयाल ने मुझसे वारण्ट छीन लिया और छीनकर फाड़ दिया। यह बात गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मैनें जो लिखाया है कि वारण्ट नन्दकिशोर ने फाड़ा है। आगे कथन किया कि मारपीट में लगभग एक घण्टा लगा होगा। मारपीट के समय रामलाल सिंह, रंगीलाल, मेरा चपरासी बच्चू सिंह, अमीन आशाराम व शंकरलाल मौके पर थे। आगे यह भी कथन किया कि अपनी चोटों का मेडिकल मैनें नहीं कराया। घटना के एक घण्टे बाद मै थाने चला गया। यह तहरीर मैनें लिखी थी। थाने 08.30 बजे रात में पहुँचा था। तहसील चार बजे पहुँच गया था। तहसील से फतेहगढ़ एस.डी.एम. साहब से मिलने गया, नहीं मिले। तीन घण्टे इन्तजार किया, तब मिले। तब थाने गये। थाने वालों ने डाक्टरी के लिए नहीं कहा।

इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी दिनांक 23.01.1984 को तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत था और उक्त दिनांक को समय करीब ढाई बजे रामेश्वर दयाल से 6,320/– रूपये की वसूली हेतु वसूली वारण्ट लेकर गया था। इस साक्षी के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त वसूली वारण्ट को रामेश्वर दयाल द्वारा फाड़ दिया गया था और उसके साथ मारपीट व गाली गलौज किया गया था, किन्तु वर्तमान में रामेश्वर दयाल व अन्य अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ रज्जन की मृत्यु हो चुकी है।

13. अभियुक्त नन्दकिशोर, रामेश्वर दयाल का पुत्र है। इस साक्षी की जिरह सेयह स्पष्ट होता है कि नन्दकिशोर द्वारा वसूली वारण्ट नहीं फाड़ा गया था, बल्कि रामेश्वर दयाल द्वारा ही फाड़ा गया था। पी.डब्लू. 2 के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि घटनास्थल पर नन्दकिशोर उपस्थित नहीं था और न ही उसके द्वारा वसूली वारण्ट फाड़ा गया, न ही उसके द्वारा वादी के साथ किसी प्रकार की घटना ही कारित की गयी। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू. 2 बच्चू सिंह का साक्ष्य, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं माना गया है। अभियोजन द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित अन्य किसी साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही अभियोजन द्वारा इस मामलें के विवेचक व सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक को परीक्षित कराया गया है। उनके स्थान पर पी.डब्लू. 4 को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो केवल उपरोक्त विवेचक व प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक के हस्तलेख व हस्ताक्षर को ही पहचानता है, उसे घटना के सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

प्रस्तुत मामलें में यह भी उल्लेखनीय है कि वादी, जो कि संग्रह अमीन के पद पर तैनात है और समस्त विधिक प्रक्रिया के विषय में जानकारी रखता है, उसके द्वारा उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में अपने उच्चाधिकारी से किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण द्वारा अपराध उसके पदीय कर्त्तव्य के दौरान हुआ था। उसकी तहरीर पर उसके उच्चाधिकारी का पृष्ठांकन नियमानुसार होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त इस मामलें में मुकदमा वादी द्वारा अपने चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया है और घटना की रिपोर्ट घटना के लगभग छः घण्टे पश्चात विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब के सम्बन्ध में कोई समुचित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मुकदमा वादी के बयान व पी.डब्लू. 1 के बयानों में अभियुक्त नन्दकिशोर की घटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में विरोधाभास है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त नन्दकिशोर की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

यह भी उल्लेखनीय है की अभियुक्त नन्दकिशोर, अभियुक्त रामेश्वर दयाल का पुत्र है। अतः इस बात की प्रबल सम्भावना है कि उसे अभियुक्त रामेश्वर दयाल का पुत्र होने के कारण ही इस मामलें में बतौर अभियुक्त नामित किया गया हो।

अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामलें को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु इस मामलें में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस स्तर का नहीं है कि उससे अभियुक्त नन्दकिशोर के विरूद्ध अभियोजन कथानक को सन्देह से परे माना जा सके।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्त नन्दकिशोर के विरूद्ध अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त नन्दकिशोर सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

14. इस तरह से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 03.01.2024 को जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पाई जा रही है और जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील आधारों में बल पाया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त नन्दकिशोर सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतः अपील स्वीकार कर विद्वान मजिस्ट्रेट का दोषसिद्धि निर्णय दिनांकित 03.01.2024 अपास्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त नन्दकिशोर आरोपित धारा 353, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत **दोषमुक्त** होने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी नन्दकिशोर द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील 02/2024, **स्वीकार** की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 1800/2013, राज्य प्रति रामेश्वर दयाल आदि, मु.अ.सं. 09/1984, अन्तर्गत धारा 353, 504, 506 भा.दं.सं., थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रुखाबाद में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांकित 03.01.2024 अपास्त किया जाता है। दोषसिद्ध नन्दकिशोर को सन्देह का लाभ देते हुए आरोपित धाराओं में दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध के बंधपत्र को निरस्त कर उसके प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है।

अपीलार्थी धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 50,000/– (पचास हजार रूपए) की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का एक निजी बंधपत्र एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विचारण न्यायालय में दाखिल करें।

इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली में रखकर पत्रावली अविलम्ब सम्बन्धित विचारण न्यायालय भेजी जाए।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– **30.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
फर्रुखाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– **30.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
फर्रुखाबाद।